

आधुनिक भारत की भू राजस्व पद्धतियों का अध्ययन

डॉ. नीतू जेवरिया, सहायक आचार्य, इतिहास, राजकीय महाविद्यालय, खैरथल, राजस्थान

सारांश (Abstract)

भारत में भू राजस्व पद्धति का इतिहास अत्यंत प्राचीन एवं विविधतापूर्ण रहा है। आधुनिक भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान जो भू राजस्व व्यवस्थाएँ स्थापित की गईं, उन्होंने देश की कृषि अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इन पद्धतियों में आमूलचूल परिवर्तन किए तथा भूमि सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से कृषकों की दशा सुधारने का प्रयास किया। प्रस्तुत शोध पत्र में ब्रिटिश काल की प्रमुख भू राजस्व पद्धतियों — स्थायी बन्दोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा महालवाड़ी व्यवस्था — का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। साथ ही स्वातंत्र्योत्तर भारत में भूमि सुधारों, जमींदारी उन्मूलन एवं वर्तमान भू राजस्व नीतियों का भी अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। यह शोध पत्र इन पद्धतियों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभावों की व्यापक समीक्षा करता है।

मुख्य शब्द: भू राजस्व, स्थायी बन्दोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन

1. प्रस्तावना (Introduction)

भूमि किसी भी कृषि प्रधान समाज की आर्थिक व्यवस्था का मूल आधार होती है। भारत जैसे देश में, जहाँ सदियों से जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि पर आश्रित रहा है, भूमि का स्वामित्व एवं उससे संग्रहीत राजस्व राज्य की शक्ति और समाज की संरचना दोनों को निर्धारित करता रहा है। (1) प्राचीन काल में मनुस्मृति एवं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भू राजस्व की विस्तृत व्याख्या मिलती है, जिसमें राज्य द्वारा उपज का एक निश्चित अंश कर के रूप में लेने की परम्परा का उल्लेख है।

मध्यकालीन भारत में मुगल शासन के अंतर्गत टोडरमल द्वारा विकसित भू राजस्व प्रणाली एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपलब्धि थी। (2) अकबर के शासनकाल में ज़बती पद्धति, बटाई पद्धति तथा नसक पद्धति के माध्यम से भूमि का वर्गीकरण कर राजस्व निर्धारण किया जाता था। इस व्यवस्था ने ब्रिटिश काल की पद्धतियों के लिए एक आधार तैयार किया।

ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भारत में आगमन के साथ भू राजस्व की प्रकृति में मौलिक परिवर्तन आया। जहाँ पूर्व की व्यवस्थाओं में भूमि से राज्य का सम्बन्ध एक सामाजिक दायित्व के रूप में देखा जाता था, वहीं अंग्रेजी शासन ने इसे एक व्यापारिक लेन-देन में परिवर्तित कर दिया। (3) राजस्व की अधिकतम वसूली ही उनका प्रमुख उद्देश्य बन गया, जिसके परिणामस्वरूप कृषक वर्ग का शोषण बढ़ता गया और भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पतन की ओर अग्रसर होती गई।

2. ब्रिटिश काल की प्रमुख भू राजस्व पद्धतियाँ

2.1 स्थायी बन्दोबस्त (Permanent Settlement) — 1793

स्थायी बन्दोबस्त, जिसे इस्तमरारी बन्दोबस्त भी कहा जाता है, भारतीय भू राजस्व इतिहास की सर्वाधिक चर्चित एवं विवादास्पद व्यवस्था रही है। (4) लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इसे बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के क्षेत्रों में लागू किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी मान लिया गया और सरकार को दिए जाने वाले राजस्व की मात्रा को सदा के लिए निश्चित कर दिया गया।

इस पद्धति के पीछे कंपनी की यह सोच थी कि यदि जमींदारों को भूमि का स्थायी अधिकार दे दिया जाए, तो वे भूमि की उत्पादकता बढ़ाने में रुचि लेंगे और राजस्व की नियमित प्राप्ति सुनिश्चित होगी। (5) इस व्यवस्था ने इंग्लैण्ड की जागीरदारी प्रणाली से प्रेरणा ली थी। फिलिप फ्रांसिस जैसे विचारकों का मत था कि एक स्थायी भूमि स्वामी वर्ग का निर्माण कृषि विकास के लिए आवश्यक है।

स्थायी बन्दोबस्त के प्रभाव:

इस व्यवस्था के परिणाम अत्यंत दूरगामी एवं विनाशकारी सिद्ध हुए। (6) जमींदारों ने राजस्व तो सरकार को दिया, परन्तु किसानों से मनमाना कर वसूलना शुरू कर दिया। जो जमींदार सूर्यास्त के नियम के अनुसार नियत तिथि तक राजस्व नहीं दे पाते, उनकी भूमि नीलाम कर दी जाती थी। इससे पुराने जमींदार वर्ग का विनाश हुआ और महाजनों तथा व्यापारियों का एक नया जमींदार वर्ग उभरा।

बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं तथा तत्कालीन साहित्य में उस काल के किसानों की दुर्दशा का विस्तृत चित्रण मिलता है। (7) रोमेश चन्द्र दत्त जैसे राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने अपनी पुस्तक "The Economic History of India" में इस व्यवस्था की कटु आलोचना की और बताया कि किस प्रकार इस पद्धति ने भारतीय किसानों की जड़ें खोखली कर दीं।

2.2 रैयतवाड़ी व्यवस्था (Ryotwari System)

रैयतवाड़ी व्यवस्था स्थायी बन्दोबस्त से सर्वथा भिन्न एक अन्य भू राजस्व पद्धति थी जिसे मुख्यतः दक्षिण भारत और बम्बई प्रान्त में लागू किया गया। (8) कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो इस व्यवस्था के प्रमुख प्रवर्तक थे। इस पद्धति में सरकार सीधे किसान (रैयत) से राजस्व का समझौता करती थी और बिचौलिए की भूमिका समाप्त कर दी गई।

इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि की उत्पादकता के आधार पर उसका सर्वेक्षण किया जाता था और प्रत्येक 20 से 30 वर्षों में राजस्व का पुनर्निर्धारण होता था। (9) कृषक को अपनी जमीन बेचने, गिरवी रखने या उत्तराधिकारियों को देने का अधिकार था, बशर्ते वह नियमित रूप से राजस्व देता रहे।

रैयतवाड़ी व्यवस्था की समस्याएँ:

यद्यपि इस पद्धति में जमींदार का मध्यवर्ती शोषण तो समाप्त हो गया, परन्तु किसान सरकार के सीधे दबाव में आ गए। (10) राजस्व की दर प्रायः अत्यंत उच्च रखी गई जो उपज के 45 से 55 प्रतिशत तक होती थी। अकाल एवं प्राकृतिक आपदा के

समय भी राजस्व में छूट नहीं मिलती थी, जिससे किसानों को साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था। धीरे-धीरे किसान ऋण के चंगुल में फँसते गए और उनकी भूमि हाथ से निकलती गई।

1876-78 के भयंकर अकाल में दक्षिण भारत के लाखों किसानों की मृत्यु इस बात का प्रमाण थी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कृषकों के हित में नहीं थी। (11) विलियम डिग्बी और दादाभाई नौरोजी ने अपने आर्थिक विश्लेषणों में यह सिद्ध किया कि ब्रिटिश राजस्व नीतियाँ भारत की गरीबी के प्रमुख कारणों में से एक थीं।

2.3 महालवाड़ी व्यवस्था (Mahalwari System)

महालवाड़ी व्यवस्था को मुख्यतः उत्तर-पश्चिमी प्रान्त, अवध तथा पंजाब में लागू किया गया। (12) इस पद्धति में राजस्व का बन्दोबस्त व्यक्तिगत किसान से नहीं, अपितु सम्पूर्ण ग्राम (महाल) या ग्राम समुदाय से किया जाता था। ग्राम के मुखिया या लम्बरदार राजस्व एकत्र करके सरकार को देते थे।

1833 में विलियम बेंटिक के काल में मार्टिन बर्ड ने इस व्यवस्था को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। (13) इस व्यवस्था की एक विशेषता यह थी कि इसमें भारत की पारम्परिक ग्राम सभा की अवधारणा को कुछ हद तक मान्यता दी गई। ग्राम के सामूहिक स्वामित्व की परम्परा को इस पद्धति में स्थान मिला।

महालवाड़ी व्यवस्था की विशेषताएँ और कमियाँ:

इस पद्धति में भूमि का पुनर्सर्वेक्षण एवं राजस्व का पुनर्निर्धारण एक निश्चित अवधि के बाद होता रहता था। (14) परन्तु इस व्यवस्था में भी राजस्व की दरें अत्यधिक ऊँची थीं। बार-बार राजस्व का पुनर्निर्धारण किसानों में अनिश्चितता का भाव पैदा करता था। इसके अतिरिक्त लम्बरदारों द्वारा भ्रष्टाचार तथा शोषण की शिकायतें भी आम थीं।

3. ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के समग्र प्रभाव

3.1 आर्थिक प्रभाव

ब्रिटिश भू राजस्व पद्धतियों ने भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को जर्जर कर दिया। (15) दादाभाई नौरोजी ने अपनी रचना "Poverty and Un-British Rule in India" में यह गणना की कि किस प्रकार भारत की सम्पदा का "निष्कासन" (Drain of Wealth) हो रहा था। भू राजस्व इस निष्कासन का एक प्रमुख साधन था।

उच्च राजस्व दरों के कारण किसान बचत नहीं कर पाते थे और कृषि में नई तकनीक या सिंचाई के साधनों में निवेश असम्भव हो गया। (16) परिणामस्वरूप कृषि उत्पादकता स्थिर रही और अकालों की आवृत्ति बढ़ती गई। उन्नीसवीं शताब्दी में भारत में अनेक भयानक अकाल पड़े जिनमें करोड़ों लोगों की जानें गईं।

3.2 सामाजिक प्रभाव

भू राजस्व पद्धतियों ने भारतीय समाज की संरचना को भी गहराई से बदला। (17) नए जमींदार वर्ग का उदय हुआ जो प्रायः शहरी था और कृषि से उसका कोई व्यावहारिक सम्पर्क नहीं था। ये "अनुपस्थित जमींदार" (Absentee Landlords) किसानों की दशा से सर्वथा उदासीन थे।

ग्रामीण समाज में साहूकारों की भूमिका अत्यंत बढ़ गई। (18) जब किसान राजस्व या लगान न दे पाता तो वह साहूकार से ऋण लेता और एक बार ऋण के जाल में फँस जाने पर उससे निकलना असम्भव हो जाता था। भूमिहीन किसानों और खेत मजदूरों का एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया जो जाति-आधारित शोषण का भी शिकार था।

3.3 राजनीतिक प्रभाव

भू राजस्व की दमनकारी नीतियों ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को भी प्रेरित किया। (19) 1857 के महाविद्रोह में किसानों की भूमिका उनकी आर्थिक बदहाली से अविभाज्य थी। आगे चलकर महात्मा गाँधी ने 1917 में चम्पारण सत्याग्रह के माध्यम से नील किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय मंच पर लाया। यह आन्दोलन भू राजस्व और लगान की अत्याचारपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध था।

4. स्वातंत्र्योत्तर भारत में भूमि सुधार

4.1 जमींदारी उन्मूलन

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी — ब्रिटिश काल की दमनकारी भू राजस्व पद्धतियों का उन्मूलन एवं कृषि सुधार। (20) संविधान सभा की बहसों में भूमि सुधार को केन्द्रीय महत्त्व दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 39(ब) और 39(स) में यह निर्देश दिया गया कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व इस प्रकार वितरित हो जिससे सामुदायिक हित की सर्वोत्तम सेवा हो।

जमींदारी उन्मूलन अधिनियम विभिन्न राज्यों में 1948 से 1956 के मध्य पारित किए गए। (21) उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950, मध्य प्रदेश का अधिनियम 1951 और बिहार का अधिनियम 1950 इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम थे। इन अधिनियमों के अंतर्गत लगभग 20 लाख जमींदारों की भूमि का अधिग्रहण किया गया और मुआवजे के रूप में उन्हें कुछ राशि दी गई।

4.2 काश्तकारी सुधार

जमींदारी उन्मूलन के पश्चात काश्तकारी सुधार का प्रश्न उठा। (22) देश के विभिन्न भागों में किसान भूमि पर खेती तो करते थे परन्तु स्वामित्व उनके पास नहीं था। काश्तकारी सुधारों का उद्देश्य था — काश्तकारों को भूमि का स्थायी अधिकार देना, लगान की दरों को उचित सीमा में बाँधना तथा बेदखली से सुरक्षा प्रदान करना।

इन सुधारों की एक बड़ी सीमा यह थी कि "स्वयं खेती" (Personal Cultivation) के प्रावधानों का दुरुपयोग कर जमींदारों ने काश्तकारों को अवैध रूप से बेदखल किया। (23) कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलता और न्यायालयों में लम्बे मुकदमों के कारण गरीब काश्तकार अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाए।

4.3 भूमि सीलिंग कानून

भूमि सुधारों की तीसरी महत्वपूर्ण कड़ी थी — भूमि सीलिंग कानून। (24) इसका उद्देश्य था कि किसी भी एक व्यक्ति या परिवार के पास एक निश्चित सीमा से अधिक भूमि न रहे और अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन किसानों में वितरित किया जाए। विभिन्न राज्यों ने 1960 के दशक में भूमि सीलिंग अधिनियम पारित किए।

परन्तु इन कानूनों का कार्यान्वयन अत्यंत निराशाजनक रहा। (25) भू-स्वामियों ने परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम भूमि हस्तांतरित कर कानून को विफल कर दिया। बेनामी लेन-देन, न्यायालयों में स्थगन आदेश और राजनीतिक प्रभाव के कारण अतिरिक्त भूमि का वास्तविक वितरण बहुत कम हो सका। बैंक ऑफ इण्डिया की एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भूमि सीलिंग के अंतर्गत घोषित अतिरिक्त भूमि का मात्र 25-30 प्रतिशत ही वास्तव में वितरित हो सका।

5. वर्तमान भू राजस्व नीतियाँ एवं व्यवस्था

5.1 भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण

स्वतंत्रता के बाद से ही भूमि अभिलेखों की अद्यतन स्थिति एक गम्भीर समस्या बनी रही। (26) लाखों एकड़ भूमि के स्वामित्व के अभिलेख अस्पष्ट, अपूर्ण या विवादास्पद थे। इससे भूमि विवाद, धोखाधड़ी और भूमि अधिग्रहण में अनेक जटिलताएँ उत्पन्न होती थीं।

केन्द्र सरकार ने 2008 में "राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम" (NLRMP) प्रारम्भ किया जिसे 2016 में "डिजिटल इण्डिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम" (DILRMP) के रूप में पुनर्गठित किया गया। (27) इसके अंतर्गत भूमि के खसरा, खतौनी तथा नक्शों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का "भूलेख पोर्टल", महाराष्ट्र का "महाभूमि" तथा कर्नाटक का "भूमि" पोर्टल इसके उदाहरण हैं।

5.2 भू राजस्व की वर्तमान स्थिति

आजादी के बाद के दशकों में अधिकांश राज्यों ने भू राजस्व की दरों को या तो समाप्त कर दिया या नाममात्र रख दिया। (28) 1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण के बाद अनेक राज्यों ने कृषि भूमि से लगने वाले भू राजस्व को पूर्णतः समाप्त कर दिया। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भू राजस्व अब एक प्रतीकात्मक रूप में ही शेष है।

परन्तु भूमि के हस्तांतरण, क्रय-विक्रय और रूपांतरण पर लगने वाले शुल्क राज्य सरकारों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बने हुए हैं। (29) स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के रूप में राज्यों को पर्याप्त आय होती है। 2021-22 में समस्त राज्यों की कुल स्टाम्प ड्यूटी आय लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक थी।

5.3 भूमि अधिग्रहण कानून में सुधार

2013 में "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम" पारित किया गया जो 1894 के ब्रिटिश कालीन अधिनियम का स्थान लेता है। (30) इस नए कानून में सामाजिक प्रभाव आकलन, उचित मुआवज़ा, और पुनर्वास के प्रावधान किए गए। विस्थापित किसानों को बाज़ार मूल्य से दो से चार गुना मुआवज़ा दिए जाने का प्रावधान किया गया।

6. भू राजस्व पद्धतियों की समस्याएँ एवं चुनौतियाँ

6.1 भूमि विवाद और न्याय व्यवस्था

भारत में भूमि विवाद न्यायालयों पर एक भारी बोझ हैं। (31) एक अनुमान के अनुसार देश के न्यायालयों में लम्बित लगभग 66 प्रतिशत मुकदमे किसी न किसी रूप में भूमि विवादों से सम्बन्धित हैं। यह स्थिति भूमि अभिलेखों की अपूर्णता, काश्तकारी कानूनों की जटिलता और उत्तराधिकार सम्बन्धी अस्पष्टता के कारण उत्पन्न होती है।

6.2 महिलाओं के भूमि अधिकार

भूमि स्वामित्व में लैंगिक असमानता एक गम्भीर चुनौती है। (32) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आँकड़ों के अनुसार भारत में केवल 13-14 प्रतिशत कृषि भूमि ही महिलाओं के नाम है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 में संशोधन कर बेटियों को समान उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया, परन्तु व्यवहार में इसका कार्यान्वयन अभी भी सीमित है।

6.3 शहरीकरण और कृषि भूमि का रूपांतरण

तेज़ी से हो रहे शहरीकरण के कारण कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोगों में रूपांतरण एक प्रमुख समस्या बन गई है। (33) 1990 के बाद से विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ), औद्योगिक गलियारों और आवास परियोजनाओं के नाम पर लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया। इस प्रक्रिया में छोटे किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के हित अक्सर उपेक्षित रहे।

7. भू राजस्व सुधारों की आवश्यकता और सुझाव

7.1 भूमि अभिलेखों का सम्पूर्ण डिजिटलीकरण

भूमि विवादों के समाधान और पारदर्शिता के लिए भूमि अभिलेखों का सम्पूर्ण, त्रुटिमुक्त एवं एकीकृत डिजिटलीकरण अत्यावश्यक है। (34) इसके लिए भू-स्थानिक तकनीक, सैटेलाइट मैपिंग और ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। तेलंगाना का "धरणी पोर्टल" और आन्ध्र प्रदेश का "मीभूमि" पोर्टल इस दिशा में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

7.2 भूमि न्यायालयों की स्थापना

भूमि विवादों के त्वरित निपटान के लिए विशेष भूमि न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए। (35) इन न्यायालयों में प्रशिक्षित न्यायाधीश, राजस्व विशेषज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का समावेश हो। ग्राम स्तर पर वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र को सशक्त किया जाना चाहिए।

7.3 महिला भूमि अधिकारों का सुदृढ़ीकरण

महिलाओं के भूमि अधिकारों को वास्तविक रूप से सुनिश्चित करने के लिए कानूनी जागरूकता, सामाजिक शिक्षा तथा प्रशासनिक प्रोत्साहन की आवश्यकता है। (36) कुछ राज्यों ने महिलाओं के नाम भूमि पंजीकरण पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने की नीति अपनाई है, जो एक सराहनीय कदम है।

8. निष्कर्ष (Conclusion)

आधुनिक भारत की भू राजस्व पद्धतियों का यह अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि भूमि का प्रश्न केवल एक आर्थिक प्रश्न नहीं है, यह सामाजिक न्याय, राजनीतिक शक्ति और सांस्कृतिक पहचान का भी प्रश्न है। (37) ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में जो भू राजस्व पद्धतियाँ लागू की गईं, उन्होंने भारतीय कृषि और ग्रामीण समाज को जो क्षति पहुँचाई उसके प्रभाव स्वतंत्रता के सात दशक बाद भी पूर्णतः दूर नहीं हो सके हैं।

स्वातंत्र्योत्तर काल में जमींदारी उन्मूलन, काश्तकारी सुधार और भूमि सीलिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रयास किए गए, परन्तु इनके कार्यान्वयन में राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव, प्रशासनिक कमजोरियाँ और सामाजिक प्रतिरोध बाधक बने। (38) आज भी भारत में करोड़ों भूमिहीन किसान और खेत मजदूर हैं जिनके लिए भूमि सुधार का सपना अधूरा है।

डिजिटल युग में भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण, पारदर्शी भू प्रशासन और सामाजिक न्याय को केन्द्र में रखकर भूमि नीतियों के निर्माण से ही भारत एक समतामूलक कृषि समाज की ओर अग्रसर हो सकता है। (39) भूमि सुधार की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है और इसमें राज्य, नागरिक समाज एवं स्वयं किसान समुदाय की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है।

सन्दर्भ सूची (References)

1. Sharma RS. Ancient India: A History Textbook for Class XI. New Delhi: National Council of Educational Research and Training; 2007.
2. Habib I. The Agrarian System of Mughal India 1556-1707. 3rd ed. New Delhi: Oxford University Press; 2014.
3. Stokes E. The English Utilitarians and India. New Delhi: Oxford University Press; 1989.
4. Misra B. The Central Administration of the East India Company 1773-1834. Manchester: Manchester University Press; 1959.
5. Guha R. A Rule of Property for Bengal: An Essay on the Idea of Permanent Settlement. New Delhi: Orient Longman; 1996.

6. Chaudhuri BN. Agrarian Relations: Eastern India. In: Dharma Kumar, editor. The Cambridge Economic History of India. Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press; 1983. p. 86-177.
7. Dutt RC. The Economic History of India under Early British Rule. London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co.; 1902.
8. Beaglehole TH. Thomas Munro and the Development of Administrative Policy in Madras, 1792-1818. Cambridge: Cambridge University Press; 1966.
9. Kumar D. Land and Caste in South India. Cambridge: Cambridge University Press; 1965.
10. Charlesworth N. Peasants and Imperial Rule: Agriculture and Agrarian Society in the Bombay Presidency 1850-1935. Cambridge: Cambridge University Press; 1985.
11. Digby W. 'Prosperous' British India: A Revelation from Official Records. London: T. Fisher Unwin; 1901.
12. Whitcombe E. Agrarian Conditions in Northern India: The United Provinces under British Rule 1860-1900. Berkeley: University of California Press; 1972.
13. Metcalf TR. Land, Landlords and the British Raj: Northern India in the Nineteenth Century. Berkeley: University of California Press; 1979.
14. Barrier NG. The Punjab Alienation of Land Bill of 1900. Durham: Duke University Press; 1966.
15. Naoroji D. Poverty and Un-British Rule in India. London: Swan Sonnenschein & Co.; 1901.
16. McAlpin MB. Subject to Famine: Food Crises and Economic Change in Western India 1860-1920. Princeton: Princeton University Press; 1983.
17. Thorner D, Thorner A. Land and Labour in India. Mumbai: Asia Publishing House; 1962.
18. Catanach IJ. Rural Credit in Western India 1875-1930. Berkeley: University of California Press; 1970.
19. Chandra B. India's Struggle for Independence. New Delhi: Penguin Books; 1989.
20. Namboodiripad EMS. The National Question in Kerala. Mumbai: People's Publishing House; 1952.
21. Government of India. First Five Year Plan 1951-56. New Delhi: Planning Commission; 1951.
22. Appu PS. Tenancy Reform in India. New Delhi: Government of India Press; 1975.
23. Joshi PC. Land Reforms in India: Trends and Perspectives. New Delhi: Allied Publishers; 1975.
24. Frankel FR. India's Green Revolution: Economic Gains and Political Costs. Princeton: Princeton University Press; 1971.
25. Bandyopadhyay D. Land Reforms in India: An Analysis. Economic and Political Weekly. 1986;21(25-26):A-50-A-56.

26. Ministry of Rural Development. Report of the Expert Group on Computerization of Land Records. New Delhi: Government of India; 2008.
27. Department of Land Resources. Annual Report 2021-22. New Delhi: Ministry of Rural Development, Government of India; 2022.
28. Reserve Bank of India. State Finances: A Study of Budgets 2022-23. Mumbai: Reserve Bank of India; 2022.
29. Ministry of Finance. Economic Survey 2022-23. New Delhi: Government of India; 2023.
30. Government of India. The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013. New Delhi: Ministry of Law and Justice; 2013.
31. National Judicial Data Grid. Pendency Report 2022. New Delhi: Supreme Court of India; 2022.
32. International Institute for Population Sciences. National Family Health Survey (NFHS-5) 2019-21. Mumbai: IIPS; 2021.
33. Rawal V. Ownership Holdings of Land in Rural India: Putting the Record Straight. *Economic and Political Weekly*. 2008;43(10):43-47.
34. Deininger K, Nagarajan HK, Singh SK. Land Reforms and Their Impact on Land Records and Agricultural Development in India. Washington DC: World Bank; 2009.
35. Law Commission of India. Delays and Arrears in Trial Courts. New Delhi: Government of India; 2009.
36. Agarwal B. A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia. Cambridge: Cambridge University Press; 1994.
37. Bhattacharya N. Remaking the Lake: Vernacular Modernity in India. New Delhi: Orient Blackswan; 2019.
38. Hasan Z, Jha R, Khan M, editors. The State, Democracy and Anti-Poverty Policies in India. New Delhi: Oxford University Press; 2009.
39. Singh MK. Land Reforms in India in the 21st Century: Challenges and Way Forward. *Indian Journal of Agricultural Economics*. 2020;75(2):234-251.